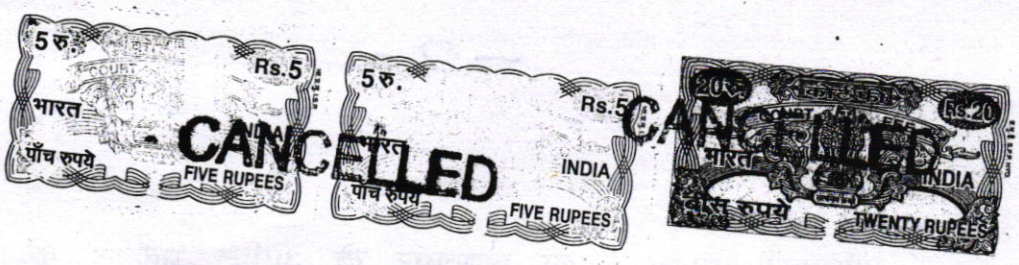

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES COURT — 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES — 20 रु. भारत बीस रुपये Rs.20 INDIA TWENTY RUPEES

CANCELLED CANCELLED

न्यायालय श्रीमान् बोर्ड आफ रेवन्यू महोदय,

जिला–जबलपुर (म.प्र.)

राजस्व रिवीज कं................/2016

R 39- I-17

अपीलार्थी : परसराम मेहरा,
आत्मज स्व. कढोरीलाल (झारिया), उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी–ग्राम हिनौतिया, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.)

श्री धनंजय असाटी
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
16 DEC 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरूद्ध

उत्तरवादीगण : 1. पंचमलाल मेहरा
पिता स्व. कोदीलाल मेहरा (झारिया)

2. नारायण चमार
आत्मज देवलाल चमार (असैया), दोनों निवासी–ग्राम हिनौतिया, तहसील शहपुरा जिला–जबलपुर (म.प्र.)

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय श्रीमान तहसीलदार शहपुरा वृत्त पिपरिया कला के राजस्व प्रकरण कं. 01/अ–56/2014–15 के आदेश दिनांक 23.03.2015 एवं न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय

अधिकारी पाटन जिला जबलपुर के अपील प्रकरण कं. 26/अ-56/2014-15 के आदेश दिनांक 14.05.2014 एवं संभागीय आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग के आदेश राजस्व प्र.कं. 357/अ-56/2014-15 दिनांक 19.09.2016 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता हैः-

रिवीजन के तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थी/रिवीजनकर्ता पिता स्व. कढोरीलाल ग्राम हिनौतिया तहसील शहपुरा जिला जबलपुर म.प्र. के ग्राम कोटवार थे। उनकी मृत्यु दिनांक 30.12.2004 को हो गई थी तब तक विगत 35 वर्ष से वह ग्राम कोटवार के पद पर सत्यानिष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करते चले आ रहे थे।

2. यह कि, कढोरीलाल मेहरा की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार शहपुरा जिला जबलपुर के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 230 म.प्र. भू-राजस्व संहिता का इस आशय का प्रस्तुत किया कि स्व. कढोरीलाल मेहरा ग्राम हिनौतिया के ग्राम कोटवार थे उनके स्वर्गवास होने से उक्त पद रिक्त होने के कारण अपीलार्थी को ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्त किया जावें। तदोपरांत तहसीलदार महोदय द्वारा आम इश्तेहार इस आशय का जारी किया कि कोई हितवद्ध पक्षकार हो, उपरोक्त पद पर कोई आपत्ति हो तो वह पेश करें एवं पुलिस थाना बेलखेड़ा जबलपुर के अपीलार्थी के चरित्र संबंधी प्रतिवेदन भी प्राप्त किया जिसमें अपीलार्थी के पक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-39-एक/17 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/6/18	यह निगरानी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 357/अ-56/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पिता ग्राम कोटवार के पद पर ग्राम हिनौतिया में पदस्थ थे, उनका स्वर्गवास हो जाने से कोटवार का पद रिक्त होने से मुझे उक्त पद प्रदान किया जावे। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत हिनौतिया के सरपंच एवं ग्रामवासियों के अभिमत एवं अनुशंसा के आधार पर आदेश दिनांक 13.03.2015 द्वारा अनावेदक क्र. 1 को कोटवार के पद पर नियुक्त करने संबंधी आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 14.05.2016 द्वारा अस्वीकार की गई। जिसके विरुद्ध आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 19.09.2016 द्वारा निरस्त की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3. अनावेदक क्र. 1 की ओर से प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध दिनांक 16.12.2016 को निगरानी पेश की गई है जो 38 दिन विलंब से है। इस 38 दिन के विलंब को क्षमा करने हेतु आवेदक कीओर से निगरानी आवेदन के साथ विलंब क्षमा का आवेदन	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्याय दृष्टांत 1996 आर.एन. 258 हीरालाल विरुद्ध नाथूलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा-5 विलंब की माफी के लिए आवेदन तथा शपथ पत्र फाइल नहीं किया गया - 5 दिन का विलंब माफ नहीं किया जा सकता। उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अनावेदक क्र. 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति मान्य किए जाने योग्य है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अवधि वाह्य होने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों अभिलेख वापस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	